



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बांसवाड़ा में पुलिस थाना कलिंजरा के हैड कानिस्टेबल को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 13 अप्रैल। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा के हैड कानिस्टेबल श्रीलाल को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमें में मामला हल्का कराने तथा पक्ष में बयान कराने की एवज में पुलिस थाना कलिंजरा के अनुसंधान अधिकारी हैड कानिस्टेबल श्रीलाल द्वारा 25 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भुगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना कलिंजरा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।